श्री संजय सिंह टाइगर, माननीय स० वि० स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना का उत्तर :

प्रश्न : राज्य के अनेक जिलों में बेमौसम भारी वर्षा, आँधी व ओलावृष्टि के कारण गेहूँ, दलहन और मक्का की फसलों को भारी क्षति हुई है। किसान आत्महत्या को मजबूर हो गये हैं। सरकार किसानों को तत्काल अनुदान, रियायतें एवं मुआवजा दे।

उत्तर : राज्य के सभी जिलों द्वारा रबी 2014–15 में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से 14,15,111 हे० गेहूँ, 98,469 हे० रबी/गर्मा मक्का, 19,636 हे० चना, 95,049 हे० मसूर, 24,341 हे० अन्य मौसमी फसल एवं 21277 हे० बहुवर्षीय फसल कुल 16,73,884 हे० क्षेत्र में 33% से अधिक फसल क्षति प्रतिवेदित किया गया है।

इसके अतिरिक्त दिनांक 21.04.2015 को चक्रवातीय तुफान से राज्य के 6 जिलों यथा मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार एवं मुंगेर में 33521 हे० क्षेत्र में गेहूँ, 51405 हे० क्षेत्र में रबी/गर्मा मक्का, 23783 हे० क्षेत्र में अन्य मौसमी फसल एवं 10339 हे० क्षेत्र में बहुवर्षीय फसल कुल 119049 हे० क्षेत्र में 33% से अधिक फसल क्षति हुई।

फसल क्षति के प्रतिपूर्ति हेतु ओलावृष्टि से प्रभावित राज्य के सभी जिलों तथा चक्रवातीय तुफान से प्रभावित राज्य के 6 जिलों को कृषि इनपुट अनुदान मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नये सहायय् मानदर के आलोक में 1081.6859 करोड़ (दस अरब इक्यासी करोड़ अड़सठ लाख उनसठ हजार) रू० का आवंटन जिलों को उपलब्ध कराया गया है एवं दिनांक 25.06.2015 तक 82419.64 लाख (आठ अरब चौबीस करोड़ उन्नीस लाख चौंसठ हजार) रू० का वितरण किया जा चुका है।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

ज्ञापांक : कृ० पटना दिनांक जुलाई, 2015

प्रतिलिपि : उप सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 1235 दिनांक 28.04.2015 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : दिनांक :

प्रतिलिपि : उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 3184 दिनांक : 07-7-15

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी/सम्बन्धित सहायक (समन्वय शाखा – 4) को एक प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

7/7/15
सरकार के अवर सचिव